न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0–69 / 2017

उनवान–सरकार बनाम अशोक कुमार अग्रवाल (मै0कपिल मेडिकल एजेसीज धौलपुर) वगैरा

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0एक्ट 2006 नियम 2011)

निर्णय दिनांक – 22.04.2018

आज यह पत्रावली राष्टीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 श्री अशोक कुमार अग्रवाल मैसर्स कपिल मेडिकल एजेन्सीज लाल बाजार धौलपुर 3– जगत फार्मा डिविजन ऑफ जगदेल इन्ड्स्ट्रीज प्राई0 लिमि0 782, 15वॉं क्रॉस आई फार्मा, जे.पी. नगर बैंगलोर–560078, कर्नाटक, 4–ए0आर0 सुधाकर, जगदेल इन्ड्स्ट्रीज प्राई0 लिमि0 जुगत फार्मा, 47/1 20 किमी. स्टोन मैसूर रोड कुम्बलगोदू बैंगलोर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.09.2016 को अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में रखी 200–200 मिलीलीटर की 14 बोतल Nutritional Supplement (Mulmin Syrup) जिनमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 12 बोतल प्रत्येक 200–200मिलीलीटर ज्यों के त्यों वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त Nutritional Supplement (Mulmin Syrup) आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया। अप्रार्थी विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र वर्ष 2016 दिखाने को कहा तो उसने रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त Nutritional Supplement (Mulmin Syrup) नमूना डी–1155 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2016 के अनुसार उक्त Nutritional Supplement (Mulmin Syrup) सवस्टेडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त Nutritional Supplement (Mulmin Syrup) का कय बिल पेश किया जो अप्रार्थी संख्या 3 से कय करना बताया। अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या संख्या–4 को फर्म का नॉमिनी होना बताया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुऐ। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थीगण ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर आरोपो को स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने तथा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा आरोप स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त Nutritional Supplement (Mulmin Syrup) सवस्टैडर्ड का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सवस्टैडर्ड Nutritional Supplement (Mulmin Syrup) बेचने के दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थीगण श्री अशोक कुमार अग्रवाल मैसर्स कपिल मेडिकल एजेन्सीज लाल बाजार धौलपुर वगैरा पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 10,000/–रुपये (दस हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर(राज.)